आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल

आर0ई0 वाद सं0– 08/2003–04

आवेदिका– फरहत जहाँ

बनाम

विपक्षी– ताराचन्द यादव एवं अन्य दो

आदेश

16.08.2019

आवेदिका फरहत जहाँ, पति– मो0 फिरोज आलम, सा0– तीनपहाड़, बाबुपुर, थाना+अंचल– राजमहल, जिला– साहेबगंज को सुना। उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन दाखिल कर विपक्षीगण को आवेदित भूमि से उच्छेद करने का अनुरोध किये हैं। आवेदिका के आवेदन पत्र के अवलोकनोपरांत विपक्षीगण को नोटिश निर्गत कर कारण पृच्छा की माँग की गई तथा अंचल अधिकारी, राजमहल से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
बाबुपुर	34	253	00–01–07 में से 06 धूर

आज आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि आवेदिका की जमीन मौजा बाबुपुर के जमाबंदी नं0– 34, दाग नं0– 253, रकवा 01 कट्ठा 07 धूर है, जो आवेदिका ने करीबन आठ वर्ष पूर्व खतियानी रैयत मो0 शमीम अख्तर से निबंधित दस्तावेज संख्या 434 द्वारा खरीद कर प्राप्त की है तथा अपने नाम से दाखिल खारिज वाद सं0 58/2001–02 के द्वारा नामांतरण कराई है। दाखिल खारिज कराने के पश्चात आवेदिका अद्यतन लगान देकर लगान रसीद प्राप्त करती आ रही है। विपक्षीगण दबंग तथा पैसा वाला होने के कारण आवेदिका की जमीन को दबाकर मकान बना दिया है। इस संबंध में आवेदिका ने जमीन का सीमांकन कराने हेतु अंचल अधिकारी, राजमहल को आवेदन दिये। आवेदिका के आवेदन से संतुष्ट होकर अंचल अधिकारी, राजमहल ने उपरोक्त वर्णित जमीन का सीमांकन कराने हेतु आदेश दिये, जिसका मापी वाद सं0 37/2002–03 है। उपरोक्त जमीन का सीमांकन कराने जब अंचल अमीन गये तो विपक्षीगण ने झुठा आरोप लगाकर व्यवधान उत्पन्न किये और कहा कि ये रेलवे बी क्लास की जमीन है। उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी ने हल्का कर्मचारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग किये। जाँच प्रतिवेदन में हल्का कर्मचारी ने प्रतिवेदित किये है कि मौजा बाबुपुर, जमाबंदी नं0– 34, दाग नं0– 253 कुल रकवा 01 बीघा 19 कट्ठा 06 धूर जमीन किस्म धानी सेम कहकर खतियान में दर्ज है। इसके बाद पुनः अंचल अधिकारी, राजमहल ने उपरोक्त जमीन का सीमांकन कराने के लिए अंचल अमीन को दिये। अंचल अमीन ने दिनांक 21.02.2003 को पक्षों की उपस्थिति में नापी कर नापी प्रतिवेदन एवं नक्शा समर्पित किये हैं। अंचल अमीन ने अपने नापी प्रतिवेदन में स्पष्ट प्रतिवेदित किये हैं कि आवेदिका का दखल में मात्र 01 कट्ठा 01 धूर जमीन है। आवेदिका की शेष जमीन 13 कड़ी (7''X4 कड़ी 4'') जमीन पर हरि प्रसाद घोष विपक्षी 13 कड़ी 7''X 22 कड़ी 4'' जमीन पर विपक्षी ताराचन्द यादव एवं 13 कड़ी 7''X 8 कड़ी पर विपक्षी सत्यनारायण यादव के द्वारा दाग नं0– 253 की जमीन को दाग नं0– 252 की जमीन के साथ मिलाकर दबा कर पक्का मकान बना लिया है, जिसे ट्रेस नक्शा (1) पर अमीन ने लाल रंग से दर्शाया है। जबकि विपक्षीगण का दाग नं0– 253 की जमीन से कोई सरोकार नहीं है। विपक्षीगण दबंग एवं पैसे वाला होने के कारण गरीब लाचार एवं असहाय महिला की जमीन को अनाधिकृत रूप से दबा कर मकान बना कर हड़प लिये हैं।

अतः आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त वर्णित जमीन से विपक्षीगण को उच्छेद करने का अनुरोध किये हैं।

विपक्षीगण ने इस वाद में अपना पक्ष रखना उचित नहीं समझा है और न ही कारण पृच्छा समर्पित किये हैं। सिर्फ अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किये हैं:–

Scanned with CamScanner

1. निबंधित विक्रय केवाला सं0 5836/1991 की छाया प्रति।
2. खाता सं0– 61/3, दाग नं0– 252 एवं खाता सं0 22/2, 48/17, दाग नं0– 214 का लगान रसीद की छाया प्रति।
3. निबंधित विक्रय केवाला सं0 551, दिनांक 24.01.1966 की छाया प्रति।
4. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका के L.A. Case No. 04/1957–58 के मूल आवेदन ... दिनांक 12.06.19.. प्रति।
5. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका के L.A. Case No. 226/1960–61 में Copy of Award ... आदेश की छाया प्रति।
6. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका के L.A. Case No. 226/1960–61 में Copy of rate rent of land ... छाया प्रति।
7. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका के L.A. Case No. 226/1960–61 ... and Rent Shechedule की छाया प्रति।
8. Add. Sub-ordinate judge 1st Dumka के Land Acquisition Refrence Case No. 13 सन 1963 एवं ... का 1970 सुलेमान मिया–बनाम–विष्णु सरकार में पारित आदेश की छाया प्रति।
9. निबंधित केवाला सं0 2615, दिनांक 04.05.1976 की छाया प्रति।
10. माईल 195 का रेलवे बी0 क्लास भूमि को ए0 क्लस में स्थानांतरित करने से संबंधित ट्रेस नक्शा की छाया प्रति दाखिल की गई है।

अंचल अधिकारी, राजमहल के पत्रांक 286/रा0, दिनांक 14.07.2003 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, राजमहल ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि आवेदिका फरहत जहाँ, पति– मो0 फिरोज आलम, सा0– तीनपहाड, मौजा– बाबुपुर के जमाबंदी नं0– 34, दाग नं0– 253, रकबा 01 कट्ठा 07 धूर जमीन का जमाबंदी रैयत है। उक्त जमीन का आवेदिका द्वारा सीमांकन अंचल अमीन द्वारा कराया गया है। आंशिक रकबा पर हरि प्रसाद घोष, ताराचन्द यादव एवं सत्यनारायण यादव, सभी सा0– तीनपहाड को अतिक्रमण करते हुए दिखाया गया है एवं वर्तमान में चिन्हित किया हुआ अंश मौजूद है। अतः अतिक्रमित भूमि के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है, से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

आवेदिका की ओर से अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किये है:–

1. नापी वाद सं0 37/2002–03 फरहत जहाँ में दिनांक 12.12.2000 से 07.03.2003 तक के आदेश की छाया प्रति।
2. फरहत जहाँ के द्वारा जमीन मापी के संबंध में अंचल अधिकारी, राजमहल को दिया गया आवेदन की छाया प्रति।
3. नापी वाद सं0 37/2002 में हल्का कर्मचारी के द्वारा अंचल अधिकारी, राजमहल को सम्बोधित आवेदन पत्र की छाया प्रति।
4. अंचल अमीन के द्वारा अंचल अधिकारी, राजमहल को सम्बोधित नापी प्रतिवेदन एवं ट्रेस नक्शा की छाया प्रति।
5. नापी वाद सं0 37/2002–03 में नापी के समय उपस्थित रैयतों की सूची की अभिप्रमाणित छाया प्रति।

गत तीन तिथियों से उभय पक्ष अनुपस्थित हैं। उपलब्ध साक्ष्य से आवेदिका के पक्ष में प्रतीत होता है, परन्तु वाद की स्थापना के बाद 15 वर्ष से उपर गुजर चुका है। यह स्थापित करना कठिन है कि उक्त विवाद हाल बीते वर्षों में हल हुआ है या नहीं। वाद की कार्रवाई इस निदेश के साथ समाप्त की जाती है कि यदि दोनों में से कोई भी पक्ष दोबारा न्यायालय की शरण में आना चाहते हों तो 60 दिनों के अन्दर वाद का निष्पादन कर दिया जायेगा।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

Scanned with CamScanner